



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13032024-252943
CG-DL-E-13032024-252943

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1245]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 12, 2024/फाल्गुन 22, 1945

No. 1245]

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 12, 2024/PHALGUNA 22, 1945

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 12 मार्च, 2024

का.आ. 1307(अ).—भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 16 के साथ पठित धारा 17 और धारा 25 की उप धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा वुड बेस्ड बोर्ड्स (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2023 का अधिक्रमण करते हुए, सिवाय ऐसे कार्यों के संबंध में जो ऐसे अधिक्रमण से पहले किए गए या जिनके किए जाने से छूट प्रदान किया गया, केंद्र सरकार का यह मत है कि यह जनहित में आवश्यक अथवा हितकर है, अतः एतद्वारा निम्नलिखित आदेश करती है, नामतः -

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ.- (1) इस आदेश को वुड बेस्ड बोर्ड्स (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2024 कहा जाएगा।

(2) यह आदेश 11 फरवरी, 2025 से लागू होगा:

बशर्ते कि लघु उद्यमों के लिए, जैसा कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 का 27) में परिभाषित किया गया है, यह आदेश 11 मई, 2025 से लागू होगा।

बशर्ते यह भी कि सूक्ष्म उद्यमों के लिए, जैसा कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 का 27) में परिभाषित किया गया है, यह आदेश 11 अगस्त, 2025 से लागू होगा।

2. **मानक चिह्न का अनिवार्य उपयोग.**- तालिका के कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट वस्तुएं या सामान उक्त तालिका के कॉलम (2) में उल्लिखित तदनुसूची भारतीय मानक के अनुरूप होंगे तथा उनमें भारतीय मानक ब्यूरो (अनुपालन मूल्यांकन) विनियम, 2018 की अनुसूची-II की स्कीम-I के अनुसार ब्यूरो के लाइसेंस के तहत मानक चिह्न लगा होगा।

वशर्ते कि इस आदेश में से कुछ भी, निर्यात की जाने वाली स्वदेश में विनिर्मित वस्तुओं या सामान पर लागू नहीं होगा।

3. **प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकारी.**-यह ब्यूरो तालिका के कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट वस्तुओं या सामान के लिए प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकरण होगा।

4. **उल्लंघन के लिए पेनल्टी**— इस आदेश के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के तहत दंडित किया जाएगा।

तालिका

वस्तु या सामान (1)	भारतीय मानक (2)	भारतीय मानक का शीर्षक (3)
वुड बेस्ड बोर्ड्स	1659:2004	ब्लॉक बोर्ड्स
	12823:2015	लकड़ी और अन्य लिग्नेसेल्यूलोसिक सामग्री से बने प्रिलैमिनेटेड पार्टिकल बोर्ड्स
	3087:2005	सामान्य प्रयोजन के लिए लकड़ी और अन्य लिग्नेसेल्यूलोसिक सामग्री (मध्यम घनत्व के) पार्टिकल बोर्ड्स
	12406:2021	सामान्य प्रयोजन के लिए मध्यम घनत्व के फाइबर बोर्ड्स
	3097:2006	विनियर्ड पार्टिकल बोर्ड्स

नोट: इस तालिका के प्रयोजन के लिए, भारतीय मानकों के संबंध में जारी संशोधनों सहित उनके नवीनतम संस्करण, जैसा कि ब्यूरो द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किए गए हैं, ऐसी अधिसूचना की तारीख से लागू होंगे।

[फा. सं. पी-14031/21/2023-सीआई]

संजीव, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (Department for Promotion of Industry and Internal Trade)

ORDER

New Delhi, the 12th March, 2024

S.O. 1307(E).—In exercise of the powers conferred by section 16 read with section 17 and sub-section (3) of section 25 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016) and in supersession of the Wood Based Boards (Quality Control) Order, 2023, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government, is of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest, hereby makes the following Order, namely:-

1. Short title and commencement. - (1) This Order may be called the Wood Based Boards (Quality Control) Order, 2024.

(2) It shall come into force with effect from the 11th February, 2025:

Provided that in respect of small enterprise, as defined under the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (27 of 2006), it shall come into force with effect from the 11th May, 2025:

Provided further that in respect of micro enterprises, as defined under the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (27 of 2006), it shall come into force with effect from the 11th August, 2025.

2. Compulsory use of Standard Marks.- Goods or articles specified in column (1) of the Table shall conform to the corresponding Indian Standard specified in column (2) of the Table and shall bear the Standard Mark

under a licence from the Bureau as per Scheme-1 of Schedule-II of the Bureau of Indian Standards (Conformity Assessment) Regulations, 2018:

Provided that nothing in this order shall apply to goods or articles manufactured domestically meant for export.

3. Certification and enforcing authority.- The Bureau shall be the certifying and enforcing authority for the goods or articles specified in column (1) of the Table.

4. Penalty for contravention. - Any person who contravenes the provisions of this order shall be punishable under the provisions of the Bureau of Indian Standards Act, 2016.

TABLE

Goods or articles	Indian Standard	Title of Indian Standard
(1)	(2)	(3)
Wood Based Boards	1659:2004	Block boards
	12823:2015	Prelaminated particle boards from wood and other Lignocellulosic material
	3087:2005	Particle boards of wood and other lignocellulosic materials (medium density) for general purposes
	12406:2021	Medium density fibre boards for general purpose
	3097:2006	Veneered particle boards

Note.- For the purposes of this Table, the latest version of Indian Standards including the amendments thereof, as notified by the Bureau from time to time shall apply.

[F. No. P-14031/21/2023-CI]

SANJIV, Jt. Secy.